


भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी नीमच (म.प्र.) 458441	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441
EPABX-07423-223030	FAX- 07423-220099/220077	e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in
F.No. I(22)41/Adm./Tent & Light/2018- 1278-1287		Date: 23.02.2018

:: विज्ञापित ::

मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराए पर सप्लाई हेतु जी.एस.टी. के अन्तर्गत सामान्यरूप से पंजीकृत फर्मों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। तौल कार्य माह अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल 2018 के तृतीय सप्ताह तक चलने की संभावना है।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डिवीजन एवं तौल केन्द्र का नाम							
		नीमच प्रथम	नीमच द्वितीय, अतिरिक्त		मंदसौर प्रथम	मंदसौर द्वितीय	मंदसौर तृतीय	जावरा प्रथम/द्वितीय	गरोठ
		नीमच	मनासा	सिंगोली	मुख्य	मन्दसौर	सीतामऊ	जावरा	दूधाखेडी
1.	टेन्ट (18x18) या (15x15)	80	80	60	65	65	85	40	45
2.	कनात (9x6)	65	65	60	65	65	70	40	40
3.	दरी (8x10)	20	30	25	65	65	50	40	30
4.	टेबल (2.5x4)	50	50	35	40	35	50	40	30
5.	कुर्सी	75	75	80	125	150	80	60	100
6.	मेटिंग (50x5)	18000 वर्ग फुट	80	60	65	40	75	40	25
7.	तखत (6x4)	15	15	45	6	8	10	2	2
8.	ड्रम (200 Ltr.)	15	15	8	8	6	20	5	5
9.	पर्दे	40	40	40	35	40	30	20	15
10.	टेबल कवर	65	60	35	40	35	50	40	30
11.	गादी	10	20	80	25	20	45	25	30
12.	चादर	10	20	50	25	20	30	25	30
13.	लोहे की चारपाई	-	15	30	5	10	30	15	30
14.	बांस/आयरन बेरीकेटस	300 फीट	0	500 फीट	0	300 फीट	0	0	0
15.	तिरपाल	0	0	0	0	4	0	0	0
विद्युत सामग्री									
1.	जनरेटर डीजल सहित 10 के.व्ही.	2	2	3	2	2	3	2	2
2.	ट्यूब लाईट 40 वॉट	50	50	40	40	30	40	0	40
3.	हेलोजन 500 वॉट	20	30	15	25	5	25	10	10
4.	बल्ब 100 वॉट	0	0	25	0	10	20	0	40
5.	मेगाफोन	2	2	1	1	1	1	1	1
6.	पैडस्टल फेन	40	30	35	35	30	30	20	15
7.	कुलर डेजर्ट	30	20	45	30	25	30	20	15
8.	इनवेंटर/बैटरी सहित	0	2	3	0	0	1	0	2
9.	सीएफएल लेम्ब 45 वॉट	40	30	55	40	50	45	35	45
10.	पावर एक्सटेंशन बोर्ड 3 पिन	15	10	25	10	5	3	5	5
11.	पावर एक्सटेंशन बोर्ड 2 पिन	10	5	15	10	5	10	5	5

नियम व शर्तें

- उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारंभ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
- तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराए से सम्मिलित जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग-अलग कर बताएं।
- निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
- प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रखरखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।

निरन्तर.....2.....

